राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2024 दिनांकः 27 फरवरी, 2024

स्पष्टीकारक–आदेश

विषयः आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2024–25 के प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किये जाने बाबत।

आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या 2.8.5, 2.8.6, 2.8.8, 2.8.9 एवं 3.2 के संबंध में अनुज्ञाधारियों व आबकारी विभाग के कार्मिकों से हुई चर्चानुसार स्टेक–होल्डर्स की सुविधा तथा कार्य प्रणाली की सुगमता के दृष्टिगत इन बिन्दुओं में किये गये प्रावधानों को निम्नानुसार और अधिक स्पष्ट किया जाता हैः–

1. बिन्दु संख्या 2.8.9 के अनुसार "किसी माह में निर्धारित मासिक गारण्टी राशि या देशी मदिरा की गारंटी राशि से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को आगामी माह की 10 तारीख तक कमी की राशि की मदिरा उठाव का अवसर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में मदिरा का उठाव नहीं करने पर गारण्टी राशि की शेष राशि एवं उस पर 50 प्रतिशत की जुर्माना राशि नकद जमा करानी होगी।"

   स्पष्टीकरणः–बिन्दु संख्या 2.8.9 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि में मासिक गारंटी पूर्ति नहीं करने पर ही जुर्माना देय होगा, यदि कोई अनुज्ञाधारी निर्धारित अवधि में मदिरा उठाव के स्थान पर नकद राशि जमा कराकर गारंटी पूर्ति करता है तो उससे जुर्माना वसूल नहीं किया जायेगा। यद्यपि देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की गारंटी पूर्ति नकद जमा द्वारा किये जाने पर परिगणित (Calcualted) बेसिक लाईसेंस फीस की राशि भी जमा करानी होगी।

2. बिन्दु संख्या 2.8.8 के अनुसार "अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि से अधिक उठाव करने पर उसका समायोजन आगामी माह में मासिक गारंटी राशि पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।"

   स्पष्टीकरणः–बिन्दु संख्या 2.8.8 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आगामी माह का अर्थ वर्ष के शेष महीनों से है अर्थात् किसी माह में निर्धारित गारंटी राशि से अधिक उठाव का समायोजन वर्ष के शेष महीनों में से किसी भी महीने या महीनों की मासिक गारंटी पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।

3. बिन्दु संख्या 2.8.5 के अनुसार "'देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा–RML सहित) के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड निर्मित मदिरा का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में आर.एस.जी.एस.एम. निर्मित मदिरा का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित मदिरा का उठाव अनुमत होगा। इस राशि की गणना शेष राशि पेटे 50 यू.पी. देशी मदिरा की मात्रा के आधार पर की जाएगी।"

   स्पष्टीकरणः– बिन्दु संख्या 2.8.5 द्वारा किये गये प्रावधान को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि किसी दुकान की देशी मदिरा की वार्षिक गारंटी राशि 48.00 लाख रूपये तथा मासिक गारंटी राशि 4.00 लाख रूपये प्रतिमाह निर्धारित है। इस प्रावधान के अनुसार अनुज्ञाधारी को प्रतिमाह न्यूनतम 1.00 लाख रूपये की गारंटी पूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर

शुगर मिल्स लिमिटेड निर्मित मदिरा अर्थात् देशी मदिरा या RML का उठाव करके करनी होगी। यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह में 50 हजार रूपये की आर.एस.जी.एस.एम. निर्मित मदिरा का ही उठाव करना चाहता है तो उसे शेष 50 हजार रूपये की अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित देशी मदिरा या RML उठाव करने हेतु इस राशि पेटे 50 यू.पी. देशी मदिरा की मात्रा की गणना कर इस मात्रा पर 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की फीस जमा करानी होगी। अर्थात्...

शेष राशि 50 हजार रू. पर 50 यूपी देशी मदिरा की गणना:— Rs. 50000÷185 LPL Excise Duty=Total 270.27 LPL÷0.50=540.54 BLx10/-=Rs. 5405/-

5. बिन्दु संख्या 2.8.6 के अनुसार "देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा–RML सहित) के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के स्थान पर देशी मदिरा का उठाव अनुमत होगा।"

स्पष्टीकरण:—बिन्दु संख्या 2.8.6 द्वारा किये गये प्रावधान को भी उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि किसी दुकान की देशी मदिरा की वार्षिक गारंटी राशि 48.00 लाख रूपये तथा मासिक गारंटी राशि 4.00 लाख रूपये प्रतिमाह निर्धारित है। इस प्रावधान के अनुसार अनुज्ञाधारी को प्रतिमाह न्यूनतम 1.00 लाख रूपये की गांरटी पूर्ति राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव करके करनी होगी। यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह में 50 हजार रूपये की RML का ही उठाव करना चाहता है तो उसे शेष 50 हजार रूपये की देशी मदिरा (40 यू.पी., 50 यू.पी. या 60 यू.पी.) का उठाव करने हेतु इस राशि पेटे RML की मात्रा की गणना कर इस मात्रा पर 10 रूपये प्रति बल्क लीटर फीस जमा करानी होगी। अर्थात्..

शेष राशि 50 हजार रू. पर राजस्थान निर्मित मदिरा की गणना:—Rs. 50000÷200 LPL Excise Duty=Total 250 LPL÷0.75=333.33 BLx10/-=Rs. 3333/-

6. बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार "राज्य में दिनांक 01.04.2023 से शोधित प्रासव (Rectified Spirit) से देशी मदिरा निर्माण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 31.03.2023 तक उत्पादकों द्वारा शोधित प्रासव से देशी मदिरा का निर्माण किया गया लेकिन इसकी बिक्री नहीं हो पाने से आर.एस.जी.एस.एम. के गोदामों में यह मदिरा अवशेष रही है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2023 तक शोधित प्रासव से निर्मित देशी मदिरा के निस्तारण व राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत इसे दिनांक 31.03.2024 तक विक्रय की अनुमति दी जाती है। साथ ही, इस मदिरा पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक आर.एस.जी.एस.एम. द्वारा डेमरेज चार्ज किए जाने से भी छूट प्रदान की जाती है।"

स्पष्टीकरण:— बिन्दु संख्या 3.2 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आर.एस.जी.एस.एम. के गोदामों या निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के बॉण्ड में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक शोधित प्रासव से निर्मित देशी मदिरा के विक्रय योग्य स्टॉक को वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित थोक निर्गम मूल्य, एम.आर.पी. व एम.एस.पी. पर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक विक्रय किया जा सकता है।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
4. आबकारी आयुक्त, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
6. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव